भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4370

उत्तर देने की तारीख : 26.03.2025

नफरत फैलाने वाले भाषणों की घटनाएं

4370. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में राजनेताओं द्वारा अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जाने की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दिए गए नफरत फैलाने वाले भाषणों से होने वाली प्रत्येक घटना से निपटने के लिए कोई नया और पर्याप्त रूप से कठोर कानून बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। अपराधों को रोकने, पता लगाने और जांच करने तथा अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारें मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 299 और 353 के तहत ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय होने के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों के कामकाज की निगरानी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने की शिकायतों और मामलों पर गौर करना, अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना आदि कार्य करता है। ऐसी कोई याचिका प्राप्त होने की स्थिति में आयोग आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें संबंधित प्राधिकारियों/राज्य सरकारों के समक्ष उठाता है।

*****